नईदुनिया

भोपाल, 22 नवम्बर 2026

संत नामदेव महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में सजेगा श्रद्धा-भक्ति, सामाजिक एकता का संगम

चल समारोह,विट्ठल-रुक्मिणी पूजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां,भंडारा एवं युवक-युवती परिचय सम्मेलन होगा



नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: संत शिरोमणि श्री नामदेव महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में रविवार को शहर में श्रद्धा-भक्ति, सामाजिक एकता का संगम सजेगा। नामदेव समाज विकास परिषद के तत्वावधान में जवाहर चौक स्थित संत नामदेव सामुदायिक भवन में भव्य समारोह होगा। इसमें समस्त नामदेव परिवार एकजुट होकर संत परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। साथ ही सामाजिक समरसता का संदेश देंगे।

रविवार सुबह नौ बजे भव्य चल समारोह निकाला जाएगा। सबह 10 बजे भगवान विट्ठल-रुक्मिणी जी की स्थापना, विधिवत पूजन एवं सामूहिक आरती होगी। इस अवसर पर समाज की महिलाएं विशेष रूप से सुसज्जित आरती की थालियां लेकर आएंगी और भगवान विट्ठल-रुक्मिणी जी एवं संत नामदेव महाराज की आरती में सहभागी बनेंगी। इसके पश्चात समिति का परिचय एवं अतिथियों का स्वागत किया जाएगा। सुबह 11 बजे सरस्वती वंदना एवं स्वागत नृत्य के साथ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। अतिथियों के स्वागत एवं उद्बोधन के पश्चात भोपाल के प्रसिद्ध भजन गायक विशाल परिहार द्वारा भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। दोपहर एक बजे से भंडारा एवं प्रसादी वितरण होगा। दोपहर तीन बजे रंगोली,मेहंदी,ड्राइंग एवं आरती थाली सजाओ प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। शाम चार बजे युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजित होगा। शाम पांच बजे आभार प्रदर्शन के साथ समारोह का समापन होगा। श्री दादाजी गुरुदेव चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं नामदेव समाज विकास परिषद मध्य प्रदेश के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शिवरतन नामदेव, कार्यक्रम संयोजक दीपक नामदेव, सहसंयोजक जीवन नामदेव ,कमल किशोर नामदेव भवन प्रभारी तथा नामदेव समाज भोपाल की पूरी टीम के नेतृत्व, मार्गदर्शन एवं सहयोग से समारोह की तैयारियां पूर्ण की गई हैं। आयोजकों ने बताया कि इस पावन आयोजन का उद्देश्य संत नामदेव महाराज के भक्ति, प्रेम, समानता, सद्भाव एवं मानव सेवा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।

न्याय व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल सावधानी से हो: जस्टिस बागची

- न्यायिक विवेक और जवाबदेही से समझौता किए बिना हो प्रौद्योगिकी का उपयोग

नईदुनिया राज्य ब्यूरो, भोपाल: न्याय व्यवस्था में प्रौद्योगिकी का उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिए। इसे न्यायिक प्रक्रिया में सहायक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि मानव न्यायाधीश के विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने शनिवार को जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही।

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की ओर से ट्रिपल आईटीडीएम में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि मनुष्य सदियों से कलन विधियों का उपयोग करता आया है। प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को मानव मस्तिष्क से मशीनों तक पहुंचा दिया है। अब मशीनें मानव बुद्धि के कुछ कार्यों की प्रतिकृति तैयार करने में सक्षम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि विधिक समुदाय के सामने चुनौती यह नहीं है कि न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का प्रवेश होगा या नहीं, बल्कि यह तय करना है कि उसका इस्तेमाल किस सीमा तक और किन शर्तों पर किया जाए। मशीनों से मिलने वाली कार्यक्षमता के कारण न्यायिक तर्क, जवाबदेही और विवेक प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने विधिक समुदाय से कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों की भूमिका और सीमाओं पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह किया।

तकनीक आम नागरिकों के लिए सुलभ हो: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अलपेश वाई. कोगजे ने कहा कि प्रौद्योगिकी तभी सार्थक है, जब आम नागरिकों के लिए न्याय व्यवस्था तक पहुंचना, उसे समझना और उसका खर्च वहन करना आसान हो। यह संविधान के अनुच्छेद 39 (क) की भावना के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने ई-न्यायालय, दूरभाष विधिक परामर्श, न्याय बंधु, न्यायालयीन कार्यवाही के सीधे प्रसारण और निर्णयों के भारतीय भाषाओं में अनुवाद जैसी पहलों का उल्लेख किया। साथ ही कहा कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या डिजिटल साक्षरता नहीं है, उनके लिए तकनीकी सुविधाएं नई बाधा नहीं बननी चाहिए। इसलिए न्यायालयों में भौतिक सेवाओं के विकल्प भी उपलब्ध रहने चाहिए। उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरणों और अधिवक्ताओं से ऑनलाइन विवाद समाधान तथा मध्यस्थता का विस्तार करने और गांवों तक डिजिटल न्यायिक सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने का आग्रह किया।

निगम आयुक्त ने बोट क्लब का किया निरीक्षण



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने शनिवार सुबह बड़े तालाब के किनारे बोट क्लब क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान फुटपाथों पर खाद्य पदार्थों के स्टॉल, ठेले और अन्य अतिक्रमण पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल अतिक्रमण हटाने और क्षेत्र में उच्च स्तरीय साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।

उन्होंने बोट क्लब के फुटपाथों पर लगे स्टॉल और ठेले हटाने, अलाव जलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा दीवारों, रेलिंग, फुटपाथ और डिवाइडर की रंगाई-पुताई कराने को कहा। साथ ही दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाकर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों और फुटपाथों का आवश्यकतानुसार संधारण भी शीघ्र कराने को कहा। निगम आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाए। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के रात्रिकालीन सफाई अमले ने सड़कों और फुटपाथों की सफाई की। अलाव जलाने वालों के विरुद्ध मौके पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। उनके निर्देश पर उपायुक्त चंचलेश गिरहारे, मुख्य अभियंता संतोष गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छ भारत मिशन और अतिक्रमण शाखा के अधिकारियों ने भी बोट क्लब सहित अन्य क्षेत्रों का निरीक्षण किया।

भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में मध्यप्रदेश को प्रतिनिधित्व, चार नेताओं को मिली जिम्मेदारी



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों की घोषणा कर दी गई है। नई टीम में मध्यप्रदेश के चार नेताओं को स्थान मिला है। इनमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार और ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के अनुमोदन के बाद घोषित की गई इस कार्यकारिणी में मध्यप्रदेश को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वैभव पवार को मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है। वह पूर्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्हें यह दायित्व उस समय मिला था, जब विष्णुदत्त शर्मा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। नई कार्यकारिणी में प्रदीप माहौर सोनी को सामाजिक माध्यम विभाग का सह-संयोजक बनाया गया है। वहीं, राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्यों की सूची में मध्यप्रदेश से सीताराम बाथम और ग्वालियर की पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता को शामिल किया गया है। इस तरह पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में प्रदेश के चार नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें एक नेता को राष्ट्रीय मंत्री, एक को सह-संयोजक और दो नेताओं को राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य के रूप में स्थान मिला है।



डीडी प्ले स्कूल में बच्चों की आंखों की जांच

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: डी.डी. प्ले स्कूल में विद्यार्थियों के लिए नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। चिरायु मेडिकल हॉस्पिटल की डॉ. अनघा चौहान और उनकी टीम ने बच्चों की आंखों की जांच की। साथ ही नियमित जांच, पौष्टिक आहार और मोबाइल व टीवी का सीमित उपयोग करने की सलाह दी।

नवयुवक सभा प्रबंध समिति के अध्यक्ष वासुदेव वाधवानी और महासचिव राजेश हिंगोरानी ने शिविर को उपयोगी बताया। इस अवसर पर शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन के सदस्य उपस्थित रहे।

साफ-सफाई में बाधा डालने वालों से वसूला 7,900 रुपए जुर्माना

नप्र, भोपाल: नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के निर्देशों के अनुसार शहर में अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने, प्रदूषण फैलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध शनिवार को निगम अमले ने विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए 57 प्रकरणों में कुल 7,900 रुपये जुर्माना वसूला। निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर विभिन्न जोन के वार्डों में हानिकारक जैव चिकित्सा अपशिष्ट सार्वजनिक स्थलों पर फेंकने, गंदगी फैलाने, थूकने, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट और भवन निर्माण सामग्री रखने तथा एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान जोन क्रमांक 13 में 12 प्रकरणों में 1,200 रुपये, जोन क्रमांक 14 में 25 प्रकरणों में 4,400 रुपये और जोन क्रमांक 15 में 20 प्रकरणों में 2,300 रुपये का जुर्माना वसूला गया।

भोपाल और बैरसिया में आयोजित हुई लोक अदालत में 77 प्रकरणों का निराकरण



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इसका आयोजन जिला न्यायालय भोपाल और तहसील न्यायालय बैरसिया में हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर की गई। आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में हुआ। इस दौरान प्राधिकरण के सचिव हिमांशु कौशल, नोडल अधिकारी आशुतोष शुक्ला, बार एसोसिएशन के सचिव मुकेश नागपुरे, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुहम्मद जीलानी, पीठासीन अधिकारी, सुलहकर्ता सदस्य और न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे। लोक अदालत में आठ खंडपीठों के माध्यम से सुनवाई की गई। इसमें 85 प्रकरण प्रस्तुत हुए, जिनमें से 77 का निराकरण किया गया। कुल एक करोड़ 80 लाख 3 हजार 273 रुपये की समझौता राशि के अवार्ड पारित किए गए। अदालत में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित दो पुराने प्रकरणों का भी निराकरण हुआ। इस आयोजन से पक्षकारों को आपसी सहमति और सुलह-समझौते के माध्यम से विवादों का शीघ्र समाधान करने का अवसर मिला।

वैशाली नगर से लिए पानी के सभी नमूने जांच में शुद्ध मिले



नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: नगर निगम द्वारा शहर में स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पानी के नमूने एकत्र कर उनका भौतिक और प्रयोगशाला परीक्षण लगातार किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को वैशाली नगर से 17 और शहर के अन्य क्षेत्रों से 90 जल नमूने एकत्र किए गए। मौके पर किए गए भौतिक परीक्षण में सभी नमूने शुद्ध पाए गए। इन नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए निगम की आठ प्रयोगशालाओं में भेजा गया है।

निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर जलकार्य विभाग के अधिकारियों और जल परीक्षण टीम ने वैशाली नगर सहित अन्य क्षेत्रों में जलप्रदाय व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान पेयजल के नमूने लेकर मौके पर ही परीक्षण किया गया। निगम अमले ने 14 स्थानों पर पाइपलाइन के लीकेज भी सुधारे। वहीं, सीएम हेल्पलाइन और महापौर हेल्पलाइन पर मिली तीन शिकायतों का निराकरण किया गया। निगम के अनुसार, वैशाली नगर में अब तक कुल 111 जल नमूनों का परीक्षण कराया जा चुका है। शहर के अन्य क्षेत्रों में अब तक 34 हजार 930 नमूने एकत्र कर जांच की गई है। इसके अलावा 8 हजार 370 लीकेज सुधारे गए हैं और 1 हजार 148 शिकायतों का निराकरण किया गया है। शहर में 26 हजार 727 स्थानों पर सीवेज चेंबर की सफाई भी कराई गई है।

संत हिरदाराम नगर में बिजली कटौती से मिलेगी राहत, 2.31 करोड़ के कार्य स्वीकृत



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: संत नगर में बार-बार बिजली कटौती और तकनीकी खराबी की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। सिंधी सेंट्रल पंचायत के प्रयासों के बाद मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 11 स्थानों पर बिजली सुधार कार्यों के लिए 2 करोड़ 31 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। ये कार्य अगले ढाई महीने में पूरे किए जाएंगे।

सिंधी सेंट्रल पंचायत के संयोजक एवं कपड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष कन्हैयालाल इसरानी और महासचिव सुरेश जसवानी ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने बताया कि 11 और 33 केवी की खुली लाइनों को हटाकर उनकी जगह कवर्ड वायर लगाए जाएंगे। इससे बारिश और आंधी के दौरान बिजली फॉल्ट की आशंका कम होगी। कार्य के दौरान कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति बंद रखनी पड़ सकती है। स्वीकृत राशि से बूढ़ाखेड़ा स्थित 11 केवी सब स्टेशन में 5 एमवीए की अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा वन ट्री हिल्स, निर्मल नर्सरी फीडर, सीटीओ, बैरागढ़-1 और 2, जाटखेड़ी, पूजा श्री, बैरागढ़ कलां, कैलाश नगर और वाटर वर्क्स में भी सुधार कार्य होंगे।

वहीं, विधायक रामेश्वर शर्मा के प्रयासों से वार्ड-3 के बैरागढ़ कलां गांव में करीब 12 करोड़ रुपये की लागत से 33/11 केवी उपकेंद्र बनकर तैयार हो गया है। इसका लोकार्पण दिसंबर में होने की संभावना है।

25 नवंबर को प्रदेशभर में बूचड़खाने बंद रखने की मांग



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: साधु वासवानी सेंटर के नरेश ज्ञानचंदानी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर 25 नवंबर को साधु टी. एल. वासवानीजी की जयंती (अंतरराष्ट्रीय मांसाहार रहित दिवस) पर प्रदेशभर में बूचड़खाने एक दिन के लिए बंद रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में कहा कि यह दिन करुणा, अहिंसा और जीवों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। इंदौर और भोपाल में पहले से इस परंपरा का पालन किया जा रहा है।

गुरु नानक जयंती पर निकलेगी प्रभात फेरी, चालिया का समापन 24 को

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: श्री गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर अमृतवेला ट्रस्ट भोपाल द्वारा 15 अक्टूबर से आयोजित 'चालिया 2026' का समापन 24 नवंबर को होगा।

आयोजन के दौरान भाई साहिब गुरप्रीत सिंह (रिंकू वीर जी) ने गुरबाणी और अपने वचनों से श्रद्धालुओं को निहाल किया।

गुरु नानक जयंती पर सुबह संतनगर स्थित अमृतवेला सेंटर से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दरबार साहिब में संपन्न होगी। दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय के सहयोग से नि:शुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। इसमें आंखों और दांतों की जांच एवं उपचार किया जाएगा।

रात 11 बजे से 1:20 बजे तक भाई साहिब गुरप्रीत सिंह का विशेष लाइव कीर्तन होगा। ट्रस्ट के सेवादार धीरज टिलवानी ने बताया कि प्रकाश पर्व की तैयारियां श्रद्धा और उत्साह के साथ की जा रही हैं।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भोपाल

क्र./निविदा/2026-27/23814 भोपाल दिनांक 20/11/2026

निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल के अंतर्गत जिला विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं में Patient Diet/Meeting/Food Basket हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। आनलाईन निविदा में सम्मिलित होने हेतु 02.12.2026 सायं 5.00 बजे तक 2000 / रूपये आनलाईन भुगतान कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल के नाम से निविदा फार्म आनलाईन क्रय कर निविदा प्राप्त की जा सकती है। अधिक जानकारी हेतु https://mptenders.gov.in पर उपलब्ध है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला भोपाल को जारी निविदा बिना कारण दर्शाये निरस्त करने का अधिकार होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला भोपाल

जी-21857/26

M/S PRASHANT ELECTRICALS
E-3/300 Arera Colony, Bhopal (M.P.)
पंजीयन क 38/1997 दिनांक 13/06/1997

आम सूचना

M/S PRASHANT ELECTRICALS फर्म के भागीदार द्वारा सर्व साधारण का सूचित किया जाता है कि फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाये भोपाल में पंजीयन क्रं 38/1997 दिनांक 13/06/1997 है फर्म के पते में परिवर्तन किया गया, पूर्व में पता Shop No 6, First Floor, Shah Building, Hamidia Road Bhopal (M.P.) वर्तमान मे संशोधित पता E-3/300, Arera Colony, Bhopal (M.P.) दिनांक 17/11/2026 को भागीदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया। अत : सर्वसाधारण को सूचित हों।

PRASHANT ELECTRICALS
(Prashant Darypani)
M/S PRASHANT ELECTRICALS
E-3/300, Arera Colony, Bhopal (M.P.)

4088

कार्यालय राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. 03 बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.)

आवेदन कं. RS/444/0736/4361/2026
ग्राम का नाम-बैरागढ़ चीचली
प.ह.नं. 14, तहसील कोलार, जिला भोपाल

सूचना-पत्र

प्रति, 1. श्री सुधीर गुप्ता आत्मज श्री के.आर. गुप्ता, निवासी-मालवीय नगर भोपाल म.प्र., 2. श्री ज्ञान सिंह पिता स्व. श्री रामदयाल व अन्य सहखातेदार, निवासी-ग्राम-बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.,3. अंशल हाउसिंग द्वारा श्री प्रदीप नारायण पुत्र श्री हरिनारायण, निवासी-बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र., 4. श्रीमति मंजू यादव पत्नि श्री अतंराम यादव व अन्य सहखातेदार, नि. ग्राम-बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र., 5. श्री कुंअवर पाल, सुदर्शन पिता श्री जयराम व अन्य सहखातेदार, निवासी-ग्राम-बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल म.प्र.,6. श्री नीतेश कुशवाह अन्सल ग्रीन मकान नं. 205 मो. 9039689783, 7. श्री कृष्ण कुमार गुप्ता अन्सल ग्रीन मकान नं. 204 मो. 9329601979, 8. सर्व साधारण एवं अन्य हितबद्ध पक्षकारगण। **इतद द्वारा** सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमति मीरा शर्मा पत्नी श्री राजकुमार शर्मा निवासी डी-30 गोल्डन सिटी नीलबड़ भोपाल द्वारा ग्राम बैरागढ़ चीचली प.ह.नं. 14 तहसील कोलार जिला भोपाल (म.प्र.) स्थित भूमि खसरा क्रमांक 292/1/4 रकबा 0.0900 है. कुल खसरा नंबर 01 कुल रकबा 0. 0900 है. भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक द्वारा आवेदित उक्त भूमि का सीमांकन मेरे द्वारा दिनांक 26.11.2026 को समय प्रातः 11:00 बजे स्थल पर किया जावेगा। पड़ोसी खातेदार होने के कारण एवं उक्त सीमाकन से कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक एवं समय पर स्थल पर भूमि के स्वत्व संबंधी एवं आनुषांगिक दस्तावेज सहित उपस्थित रहकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपस्थिति की दशा में सीमांकन कार्य रोका नहीं जावेगा। बाद प्रस्तुत आपत्ति विचार योग्य नहीं होगी। अत्यावश्यक शासकीय कार्य होने की स्थिति में सीमांकन की दिनांक में परिवर्तन किया जा सकता है। पड़ोसी भूमिस्वामी का पता स्पष्ट न होने से आवेदक स्वयं के व्यय पर उक्त सूचना पत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में कराया जा सकता है। आज दिनांक 17.11.2026 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

राजस्व निरीक्षक
रा.नि.मं. 03 बैरागढ़ चीचली तहसील कोलार जिला भोपाल

4087

जाहिर सूचना

भूखंड क्रमांक 17 एवं 18, जो खसरा क्रमांक 54 के अंश भाग पर स्थित होकर 1000 वर्ग फिट के संबंध में।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लीला बाई पत्नी श्री हरि प्रसाद साहू द्वारा अपनी स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि/भूखंड क्रमांक 17 एवं 18, जो खसरा क्रमांक 54 के अंश भाग पर स्थित होकर 1000 वर्ग फिट है के संबंध में Protium Finance (प्रोटियम फाइनेंस) से ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। यदि उक्त भूमि/भूखंड के संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था, बैंक, निगम, निकाय अथवा अन्य किसी पक्ष को किसी प्रकार की आपत्ति, दावा, अधिकार, हित, बंधक, विवाद अथवा अन्य कोई कानूनी बाधा हो, तो वह इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 5 (पाँच) दिवस के भीतर अपने समस्त संबंधित दस्तावेजों एवं साक्ष्यों सहित मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा तथा समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऋण संबंधी कार्यवाही आगे बढ़ाई जाएगी। अत: सर्वसाधारण सूचित है।

DHEERAJ SINGH DAGA, ADVOCATE
Office.:-25, Guliyadai Mohalla, Near Ex. President Home, Bhopal (M.P.) Mob No:8109999663

4086

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार ने श्रीमती स्मिता त्रिवेदी पत्नी श्री विनोद कुमार त्रिवेदी, आयु वयस्क, निवासी 226, एम.पी. नगर, जोन-2, हुजुर, भोपाल (म.प्र.) के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक किता फ्लैट क्रमांक 1002 & 1004, (2-BHK) जिसका बिल्टप एरिया 109.15 वर्ग मीटर है, जो दसवे तल पर स्थित है, जो खसरा क्रमांक 148/1/ग, का अंश भाग होकर, जो स्थित ग्राम नरेला शंकरी, ('शीतल पैराडाइज) पटवारी हल्का क्रमांक 20, वार्ड क्रमांक 67 (गाइडलाइन के अनुसार वार्ड क्रमांक 68), जोन क्रमांक 15, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश में नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित है जिसे क्रय करने हेतु टोकन बयाना राशि मेरे पक्षकार द्वारा अदा कर दी गई है यदि उक्त संपत्ति के सम्बन्ध में किसी बैंक, सोसायटी, व्यक्ति, संस्था आदि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति अथवा लेन-देन या बात विवाद या हिबा, दान, गिरवी, वसीयत, विक्रय अनुबंध, विक्रय विलेख आदि हो, तो वह इस आम सूचना के प्रकाशन के पंद्रह दिवस के अंदर मेरे कार्यालय में संपूर्ण साक्ष्य के साथ उपस्थित होकर मय दस्तावेज के आपत्ति प्रस्तुत करें। समय अवधि व्यतीत होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी तथा मेरा पक्षकार उक्त संपत्ति का पंजीयन अपने पक्ष में कराने के लिये स्वतंत्र होगा।

प्रकाश चौकसे,अधिवक्ता
ओम लॉ चेंबर कार्यालय पता: एच.आई.जी. 01. शॉप न. 01. सोनागिरी, पिपलानी, भोपाल मो. न. 9827084825, 9039772210

4085